भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 425
दिनांक 04.02.2020/ 15 माघ, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

एनपीआर के कार्य को रोके रखना

†425. एडवोकेट अदूर प्रकाशः
श्री प्रसून बनर्जीः
श्री अनुमुला रेवंत रेड्डीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि केरल सहित कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने से संबंधित कार्यों को रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए प्रश्नावली को अंतिम रूप दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) एनपीआर को अद्यतन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या एनपीआर के डेटाबेस का उपयोग राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के लिए किया जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): सरकार उन राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर रही है जिन्हें राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने के संबंध में आशंकाएं हैं।

(ग) और (ङ): एनपीआर को अपडेट करने की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जन सांख्यिकीय और अन्य ब्यौरे अपडेट/एकत्र किए जाने हैं। प्रक्रिया के दौरान कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जा रहा है।

(च) और (छ): अभी तक, सरकार ने "भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी)" को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

*****